What is the difference between public trust and private trust ?

''सार्वजनिक विश्वस्त संस्था'' और निजी विश्वस्त संस्था'' ने क्या फर्क है ?

सार्वजनिक विश्वस्त संस्था के लाभार्थी अनिश्चित होते है । ये लाभार्थी बदते रहते है ।

जो विश्वस्त संस्था सिर्फ किसी एक कंपनी के कामगारों के लाभ के लिये निर्माण की जाती है वो सार्वजनिक विश्वस्त संस्था नहीं कही जा सकती । किसी एक उद्योगपती ने अपने कारखाने के ५००० कामगार, उनके परिवार के सदस्यों के लिये विश्वस्त संस्था निर्माण की तो यह संस्था निजी विश्वस्त संस्था होगी क्योंकि इसके लाभार्थी निश्चित है । जो विश्वस्त संस्था ''अनिश्चित और बदलते रहनेवाले'' लाभार्थीओं के सुविधा के लिये कार्य करती है तो यह ''सार्वजनिक विश्वस्त संस्था'' कही जाती है । आप किसी सुस्पष्ट/सुनिश्चित संप्रदाय या समुदाय के लिये ''सार्वजनिक विश्वस्त संस्था'' की निर्मिती कर सकते है । लेकिन ऐसी स्थिती में संस्था को आयकर अधिनियम १९६१ के ''12 A'' के तहत आयकर में छुट नहीं मिलती ।

अगर एक ही परिवार के सदस्य संस्था के विश्वस्त मंडल में हो तो ये संस्था सार्वजनिक होती है या निजी होती है ।

कानून संस्था का कार्य कौन देख रहा है इसपे निर्भर नहीं है लेकिन संस्था के लाभार्थी कौन है यह देखता है । अगर लाभार्थी सर्व समाज है तो यह संस्था सार्वजनिक विश्वस्त संस्था होती है । लेकिन अच्छे प्रशासन के लिये बोर्ड मेंबर्स में विविधता होना सही माना जाता है । बोर्ड में एक ही परिवार के सदस्य हो ये उचित नहीं है क्योंकि गृहमंत्रालय के मार्गदर्शक तत्वों में ऐसा कहा गया है की बोर्ड के सदस्यों में ५०% से ज्यादा खून के रिश्तेदार नहीं होने चाहिये ।

''क्रेडिबिलिटी अलायन्स'' ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है । लेकिन महाराष्ट्र में १००% खून के रिश्तेदार बोर्ड मेंबर्स होगे तो भी आप विश्वस्त आयुक्त-आयकर के तहत पंजीकरण कर सकते है ।